

कार्यालय- अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता परिषदना (शिकायत) निवारण फोरम, जगदलपुर
छ0स्टे0पा0डिस्ट्री0कं0लि0, का क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल,
वन विद्यालय के सामने, गीदम रोड, जगदलपुर (छ0ग0) पिनकोड:- (494-001)

विषय:- Low voltage in power supply at our Indian Bank Branch located at Jamawada.

प्रकरण क्रमांक:-
"जगदलपुर / 12 / 2026"

शाखा प्रबंधक,
इंडियन बैंक जमावड़ा, बस्तर,
(494-001) मो0नं0 8770379781

.....आवेदक

विरुद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा0 / संधा0) संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
जगदलपुर (छ.ग.)

.....अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 22.04.2026 को पारित किया गया)

(1) आवेदक के मूल शिकायत दिनांक 16.03.2026 यह है कि :-

Anent to the above we would like to inform you that our Indian bank Jamawada branch is the customer of CSPDCL under the service No - 1005930821 From the past one and half month our branch have been experiencing low voltage problems due to which the functioning of banking equipment such as computers, printer and security systems is being adversely affected. This issue is causing interruptions in our daily banking operations and inconvenience to customers and we are not able to provide essential banking services to customers. Continuous low voltage may also damage important electronic equipment in the branch.

We have lodged complaint many times in your local department and also through Toll free number but issue are still unresolved.

We kindly request you to look into this matter urgently and inspect the electricity supply line and resolve the issue at earliest.



(2) यह कि अनावेदक कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक: 6595 दिनांक 27.03.2026 के माध्यम से फोरम को सूचित किया कि :-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचना पत्र अंतर्गत धारा 42 (5) विद्युत अधिनियम'2003 के तहत नोटिस जारी करते हुए प्रकरण क्रमांक जगदलपुर 12/2026 आवेदक शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक जमावड़ा बस्तर, जगदलपुर बी0पी0क्र0 1005930821 के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रकरण के निराकरण के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :-

1. हां शिकायत का निराकरण सहायक अभियंता (ग्रामीण) जगदलपुर द्वारा कर दिया गया है। वितरण केन्द्र नानगूर के अंतर्गत ग्राम जमावाड़ा में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्यमान एल0टी0 लाईन में आवश्यक सुधार करने पश्चात ट्रांसफार्मर में वोल्टेज मापन किया गया जिसमें फेस टू न्यूट्रल RN-211, YN-215V, BN-214V मापन किया गया। उसी प्रकार उपभोक्ता परिसर में स्थापित स्मार्ट मीटर में RN-201V, YN-196V, BN-190V मापन किया गया। अवगत हो की उपभोक्ता/शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 27.03.2026 को उक्त संबंध में संतुष्टि पत्र प्रदान किया गया है।
2. शिकायत का निराकरण किया गया है।
3. प्रकरण के संबंधित जवाबदावा एवं दस्तावेज के संबंध में अवगत कराया जाता है कि उपभोक्ता/शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 27.03.2026 को उक्त संबंध में संतुष्टि पत्र प्रदान किया गया है। स्थापित ट्रांसफार्मर एवं विद्यमान एल0टी0 लाईन का रेखाचित्र।
4. उक्त संबंध में सादर अवगत कराया जाता है कि 26.03.2026 को उपभोक्ता परिसर में स्थापित मीटर के साथ 132/33 के0व्ही0 उपकेन्द्र जगदलपुर में वोल्टेज 132 के0व्ही0 साईड में 129 के0व्ही0 एवं 33 के0व्ही0 साईड में 31.7 के0व्ही0 वोल्टेज दर्ज किया गया है। ग्राम जमावड़ा को 33/11 के0व्ही0 उपकेन्द्र साड़गुड़ से 11 के0व्ही0 जमावड़ा फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। जहां उपकेन्द्र साड़गुड़ में 33 के0व्ही0 साईड में 30.2 के0व्ही0 एवं 11 के0व्ही0 फीडर में 10 के0व्ही0 वोल्टेज मापन किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार सिस्टम वोल्टेज में सुधार आने पर उक्त क्षेत्र के वोल्टेज में बेहतर सुधार हो सकता है। जो सप्लाई कोड के अनुरूप हो सकेगी।



(3) यह कि, दिनांक 17.04.2026 दिन शुक्रवार समय 12:00 बजे सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित एवं अनावेदक के प्रतिनिधि श्री अरविंद कुमार खोब्रागड़े, सहायक अभियंता (ग्रामीण) उपसंभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, धरमपुरा जगदलपुर उपस्थित हुए। यह कि, आवेदक द्वारा इंडियन बैंक जमावड़ा परिसर में कम वोल्टेज की शिकायत की गई थी जिसके निराकरण हेतु अनावेदक को निर्देशित किया गया था उक्त प्रकरण में निम्न तथ्य फोरम के जानकारी में प्राप्त हुई :-

(i) इंडियन बैंक परिसर में निर्धारित सप्लाई वोल्टेज कम पाया गया।

(ii) अनावेदक द्वारा समस्या का समाधान किया गया।

(iii) समस्या के समाधान होने की पुष्टि इंडियन बैंक के प्रतिनिधि/आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(iv) वर्तमान समय में (मार्च'2026—अप्रैल'2026) ग्रीड से कम वोल्टेज प्राप्त होने की जानकारी अनावेदक द्वारा दिया गया।

(v) बिन्दु क्र0 (iv) में कार्यवाही हेतु अनावेदक को निर्देशित किया गया।

(vi) उक्त प्रकरण में अनावेदक के कर्मचारियों द्वारा त्वरित निराकरण नहीं किया गया इस कारण यह शिकायत का मार्ग प्रशस्त हुआ अतः संबंधितों पर उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(4) फोरम के निष्कर्ष – उभय पक्षों के मौखिक एवं लिखित तर्कों के अवलोकन उपरांत फोरम के संज्ञान में ज्ञात निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

(i) यह कि, आवेदक शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक जमावड़ा बस्तर, जगदलपुर द्वारा इंडियन बैंक जमावड़ा परिसर में कम वोल्टेज की शिकायत की गई थी।

(ii) यह कि, उक्त शिकायत का निराकरण हेतु अनावेदक द्वारा वितरण केन्द्र नानगूर के अंतर्गत ग्राम जमावाड़ा में स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर एवं विद्यमान एल0टी0 लाईन में आवश्यक सुधार करने पश्चात ट्रांसफार्मर में वोल्टेज मापन किया गया जिसमें वोल्टेज कम पाया गया। सिस्टम वोल्टेज में सुधार आने पर उक्त क्षेत्र के वोल्टेज में सप्लाई कोड के अनुरूप बेहतर सुधार हो सकता है।



(iii) यह कि, उक्त वोल्टेज कम की समस्या के समाधान होने की पुष्टि इंडियन बैंक के प्रतिनिधि/आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

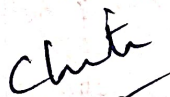
(5) फोरम का निर्णय – आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित तथ्यों एवं दस्तावेजों के अध्ययन/विवेचन से फोरम इस निर्णय पर पहुंचता है कि :-

(i) यह कि, प्रकरण में आवेदक (शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक जमावड़ा बस्तर, जगदलपुर) के शिकायत का निराकरण अनावेदक द्वारा कर दिया गया है। जिसका इंडियन बैंक के प्रतिनिधि/आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(6) आदेश पारित।

(7) प्रकरण निराकृत।

(8) यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।


(चित्रा खत्री)

सदस्य

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर


(पीयूष राम साहू)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

